

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 06/2017

प्रार्थीगण-

1. घेवरचंद पुत्र लूणाराम
 2. हंसराज पुत्र लूणाराम
- जाति माली निवासी धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. सरपंच, ग्राम पंचायत धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर
2. रमेश कुमार पुत्र परसाराम जाति
माली निवासी हनुमान मंदिर के
पास, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 724 मिसल संख्या 767/06 दिनांक 10.10.2006 जो अप्रार्थी सं. 2 रमेश कुमार के नाम ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 10.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम धोरीमन्ना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुराने गृहों का विनियमितीकरण का पट्टा स. 724 दिनांक 10.10.2006 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 800 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना मानते हुए, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत धोरीमन्ना का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जिस विवादित भूमि का पट्टा सं. 724 मिसल सं. 767/06 में जारी किया गया है, की भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की गई तथा अप्रार्थी सं. 2 ने भी वास्तविक तथ्य को छुपाकर गलत रूप से स्वयं का पुराना कब्जा न होते हुए भी आलौच्य पट्टा जारी करवाया गया है। विवादित परिसर 20 गुणा 40 फीट भूमि प्रार्थीगण के पिता लूणाराम ने जरिये पंजिबद्ध बेचाननामा दिनांक 01.11.1973 को पूर्व स्वामित्वधारी किशनलाल पुत्र रायचंद सेठिया निवासी धोरीमन्ना से क्रय की थी तथा उक्त लूणाराम के देहांत के बाद प्रार्थी के स्वामित्व में हैं किन्तु अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष गलत तथ्य व फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज पेश कर आलौच्य पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 2 की वर्तमान आयु ही 38 वर्ष है इसलिये विवादित परिसर पर उसका 50 साल अथवा अधिक अवधि का कब्जा हो नहीं सकता है एवं अप्रार्थी सं. 2 के पिता के नाम पहले से ही दो पट्टे पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत जारी है, ऐसी स्थिति में आलौच्य पट्टा नियमों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष आलौच्य पट्टा पुराने गृहों के नियमितीकरण के तहत जारी किया गया है जिसके तहत पुराना सनिर्मित मकान होना चाहिए, जबकि विवादित



परिसर पर अप्रार्थी सं. 2 का कोई घर नहीं था बल्कि प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व का है। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा सं. 724 दिनांक 10.10.2006 निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा में वर्णित भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 के चाचा लूणाराम पुत्र धूँडाराम का जरिये रजिस्ट्री खरीदशुदा था जिसे जरिये बक्शीशनामा दिनांक 20.07.2006 को अप्रार्थी सं. 2 बक्शीश कर दिया था। अप्रार्थी सं. 2 के पिता परसाराम व लूणाराम सगे भाई थे जिनके द्वारा उक्त भूखण्ड संयुक्त रूप से क्रय किया था तथा इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का परिवार निवास कर रहा था इस कारण उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 को बक्शीश कर दिया था। इस आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ने अपने स्वामित्व व कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत धोरीमन्ना के समक्ष पेश किया गया, जिस पर दिनांक 05.06.2006 को मिसल सं. 767/2006 कायम की गई तथा पट्टा जारी करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया व नियमों की पूर्ण पालना करते हुए दिनांक 10.10.2006 को पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 के तहत आलौच्य पट्टा सं. 724 विधिसम्मत तरीके से जारी किया गया, तत्पश्चात ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा उक्त पट्टे को दिनांक 09.11.2006 को अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में उप पंजियक कार्यालय गुड़ामालानी में पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 128 में पृष्ठ सं. 171 क्र.सं. 2006001771 पर पंजिबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया तथा ग्राम पंचायत धोरीमन्ना से नियमानुसार पानी का कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर जल कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन भी ले लिया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पर सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत तरीके से अपनाते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह निगरानी प्रार्थना पत्र



सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।


5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत धोरीमन्ना द्वारा जारी किये गये पट्टे का भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता लूणाराम द्वारा जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 01.11.1973 क्रय किया था तथा इस भूखण्ड पर लूणाराम के पश्चात प्रार्थीगण का ही कब्जा स्वामित्व है। इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन है कि लूणाराम व अप्रार्थी सं. 2 के पिता परसाराम सगे भाई थे जिनके द्वारा संयुक्त रूप से उक्त भूखण्ड क्रय किया गया था तथा इस पर अप्रार्थी सं. 2 के परिवार का निवास होने से लूणाराम द्वारा उक्त भूखण्ड उसके पक्ष में जरिये बक्शीशनामा दिनांक 20.07.2006 को हस्तान्तरित कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के मध्य उक्त भूखण्ड के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर विवाद है, जिसका विनिश्चय पंचायत निगरानी की इस सरसरी कार्यवाही में किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कार्यवाही की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.06.2006 को मिसल कायम की जाकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई, जो दिनांक 05.07.2006 को प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस प्रकाशित किया गया। दिनांक 05.08.2006 को बाद गुजरने मयाद कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर नियमानुसार शुल्क वसूल कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय पंचायत के प्रस्ताव सं. 6 दिनांक 05.08.2006 लिया गया तथा इसके अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 724 दिनांक 10.10.2006 को जारी किया गया है। इस प्रकार प्रथम तो आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में अंकित पडौस मेल नहीं खाते हैं। जहां तक आलौच्य पट्टा अन्तर्गत ग्राम पंचायत की कार्यवाही की सत्यता एवं वैधता का प्रश्न है तो



अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण यदि इस भूखण्ड पर अपना हक-अधिकार होना मानता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसमे पक्षकारों के कब्जे एवं स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के साथ ही आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलेक्टर,
बाड़मेर
अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)